लेखे एक दृष्टि में

2012-2013

उत्तर प्रदेश सरकार

आमुख

मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के ''लेखे एक दृष्टि में'' के वार्षिक प्रकाशन के पन्द्रहवें संस्करण को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इसके प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य, नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निदेशन के अधीन मेरे कार्यालय द्वारा तैयार किये गये एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत किये जा रहे वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे (वर्तमान वर्ष में कुल 1073 पृष्ठ) में उपलब्ध लेखे से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाओं को और अधिक परिष्कृत, संक्षिप्त एवं समझने योग्य सरल बनाना है।

''लेखे एक दृष्टि में'' राजकीय कार्य कलापों जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है, का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

हमें आपके सुझावों एवं टिप्पणियों की अपेक्षा है जो इसके प्रकाशन के सुधार में सहायक हो सकें।

(नीलेश कुमार साह)
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तर प्रदेश

स्थान: इलाहाबाद
दिनांक: 21-01-2014

हमारा दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं बुनियादी मूल्य

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संस्थान का ''दृष्टिकोण'' यह प्रस्तुत करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।

हमारा प्रयास है कि हम विश्व में अग्रणी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा तथा लेखाकरण के पेशे में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूत्रधार के रूप में सर्वोत्तम बनें एवं लोक लेखे तथा सुशासन में हमारी पहचान स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित एवं सामयिक हो।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा आज जो हम कर रहे हैं उसे वर्णित करता है।

भारत के संविधान के द्वारा अधिदेशाधीन हम लेखा परीक्षा तथा लेखाकरण में उच्च गुणवत्ता, द्वारा उत्तरदायित्व पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देते हैं तथा अपने दावेदारों (विधानमण्डल, कार्यकारी तथा सर्वजन) को आश्वासन देते हैं कि लोक निधियां कुशलतापूर्वक मूल उद्देश्यों के लिये ही प्रयुक्त की जा रही हैं।

हमारे ''बुनियादी मूल्य'' हमारे हर कार्य के मार्गदर्शन में एक प्रकाश स्तम्भ है तथा हमें कार्य के निर्धारण एवं निष्पादन के आकलन में मानक परिमाप देते हैं।

* स्वतंत्रता
* निष्पक्षता
* ईमानदारी
* विश्वसनीयता
* व्यवसायिक उत्कृष्टता
* पारदर्शिता
* सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय सूची

अध्याय 1	परिदृश्य	पृष्ठ
1.1	परिचय	5
1.2	लेखे की संरचना	5
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	7
1.4	निधियों का स्रोत एवं उपयोग	8
1.5	लेखे के मुख्य अंश	11
1.6	घाटा एवं आधिक्य क्या दर्शाते है ?	12

अध्याय 2	प्राप्तियां	
2.1	परिचय	14
2.2	राजस्व प्राप्तियां	14
2.3	प्राप्तियों का प्रवाह	15
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का निष्पादन	17
2.5	कर संग्रह की दक्षता	17
2.6	संघ करों में राज्यांश का प्रवाह	18
2.7	सहायता अनुदान	18
2.8	लोक ऋण	19

अध्याय 3	संवितरण	
3.1	परिचय	20
3.2	राजस्व व्यय	20
3.3	पूंजीगत व्यय	21

अध्याय 4	आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय	
4.1	व्यय का वितरण	23
4.2	आयोजनागत व्यय	23
4.3	आयोजनेत्तर व्यय	24
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	24

अध्याय 5	विनियोग लेखे	
5.1	विनियोग लेखे के सारांश	25
5.2	विगत 5 वर्षों के दौरान बचत/व्ययाधिक्य का प्रवाह	25
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	26

अध्याय 6 परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1	परिसम्पत्तियां	28
6.2	ऋण एवं देयतायें	28
6.3	प्रत्याभूतियां	29

अध्याय 7 अन्य मदें

7.1	महत्वपूर्ण लेन देनों के चेकों का व्यपगत होना	30
7.2	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण तथा अग्रिम	30
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	30
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश	31
7.5	लेखे का मिलान	31
7.6	कोषागारों द्वारा प्रस्तुत लेखे	32
7.7	सार आकस्मिकता बिल तथा विस्तृत आकस्मिकता बिल	33
7.8	व्यय का अतिरेक	33
7.9	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की प्रतिबद्धता	34

अध्याय I

परिदृश्य

1.1 परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा संकलित किया जाता है (मासिक आधार पर मासिक सिविल लेखे के नाम से जाना जाता है)। यह संकलन भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं, जिला कोषागारों, लोक निर्माण तथा वन प्रभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रारम्भिक लेखाओं एवं भारत सरकार से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा उ0प्र0 सरकार से किये गये वित्तीय लेन देनों के आधार पर आधारित है। इस संकलन से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) वार्षिक वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा के पश्चात् तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

भाग 1 **समेकित निधि**	राजस्व तथा पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं।
भाग 2 **आकस्मिकता निधि**	विधायिका का अनुमोदन लंबित रहने पर अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से रखा जाता है। इस निधि से किये गये व्यय बाद में समेकित निधि से आपूरित किये जाते हैं। उ0प्र0 सरकार की इस निधि का आकार ₹ 600 करोड़ है।
भाग 3 **लोक लेखा**	लोक धन की प्राप्त समस्त धनराशि सिवाय उनके जो समेकित निधि में जमा की जाती हैं, को लोक लेखे के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। इन प्राप्तियों के सम्बन्ध में सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। इसमें लघु बचतें एव भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा तथा अग्रिम, प्रेषण तथा उचन्त लेन देन शामिल होते हैं। लघु बचतें एव भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां एवं जमा सरकार के पुनर्भुगतान दायित्वों को प्रदर्शित करते हैं। अग्रिम सरकार को प्राप्य होते हैं। प्रेषण तथा उचन्त लेन देन समायोजनीय प्रविष्टियां होती हैं जिन्हे अन्तिम लेखा शीर्षों में लेखांकित कर समाशोधित किया जाता है।

1.2.2 *लेखाओं का संकलन*

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे वर्ष में सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा दर्शाये गये वित्तीय परिणामों लोक ऋण एवं लेखाओं में अभिलिखित लोक लेखाओं के अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। वित्त लेखे को नये फार्मेट में दो खण्डों में प्रस्तुत किया गया है ताकि उसे और अधिक विस्तृत एवं सूचनापूर्ण बनाया जा सके। वित्त लेखे के खण्ड–I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण एवं "लेखे पर टिप्पणी" जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मद तथा खण्ड– II में अन्य संक्षिप्त विवरण (भाग– I) विस्तृत विवरण (भाग– II) तथा परिशिष्ट (भाग–III) समाविष्ट हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों को जैसा कि वर्ष 2012–13 के वित्त लेखे में वर्णित है नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियां (कुल जोड़ 165561.17)	**राजस्व (कुल 145903.98)**	कर राजस्व	115596.21
		कर भिन्न राजस्व	12969.98
		सहायता अनुदान	17337.79
	पूँजीगत (कुल 19657.19)	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	418.80
		उधार एवं अन्य दायित्व*	19238.39
संवितरण (कुल जोड़ 165561.17)	**राजस्व**		140723.64
	पूँजीगत		23834.29
	ऋण एवं अग्रिम		1003.24

* उधार और अन्य दायित्व प्रतिशत निवल लोक ऋण (प्राप्तियां–संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां–संवितरण)+ रोकड़ शेष के आदि तथा अन्त शेष का निवल ।

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कियान्वयन के लिए राज्य की कियान्वयन एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को सीधे पर्याप्त निधि हस्तान्तरित करती है। इस वर्ष भारत सरकार ने सीधे ₹9631.63 करोड़ (₹10682.51 करोड़ विगत वर्ष) जारी/अवमुक्त किया। चूँकि ये निधियॉ राज्य बजट के माध्यम से जारी नहीं की जाती हैं, वे राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। इन हस्तान्तरणों को वित्त लेखे, खण्ड–II के परिशिष्ट–VII में प्रदर्शित किया गया है।

1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे का सम्पूरक है तथा राज्य के समेकित निधि पर "प्रभारित" अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत धनराशियों के सापेक्ष राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। राज्य में 44 प्रभारित विनियोग तथा 91 दत्तमत अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2012–13 द्वारा सकल व्यय के लिए ₹216759.91 करोड़ एवं व्यय में कमी (वसूलियों) के लिए ₹10788.01 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके सापेक्ष वास्तविक सकल व्यय ₹187058.21 करोड़ तथा व्यय में कमी ₹12588.00 करोड़ थी, परिणामतः ₹29701.70 करोड़ (14प्रतिशत) की निवल बचत हुई एवं ₹1799.99 करोड़ (17प्रतिशत) की व्यय में कमी का कम आंकलन हुआ। राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत व्यय में कमी अनुमान से अधिक थी। वर्ष के दौरान सकल व्यय में आकस्मिक सार देयक (ए0सी0) पर आहरित ₹28.07 करोड़ शामिल हैं जिसमें से ₹4.76 करोड़ अभी भी वर्ष के अन्त तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) देयक के अभाव में बकाया है।

सामान्यतः व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0) के अन्तर्गत अप्रयुक्त अवशेषों को वित्तीय वर्ष के अन्त में सरकारी लेखों को वापस हस्तांतरित कर देना चाहिए। परन्तु वर्ष के अन्त तक 56 व्यक्तिगत जमा खातों (शीर्ष 8443–106 के अधीन) की ₹0.45 करोड़ की राशि के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया गया।

राज्य के 77 कोषागारों में से 43 कोषागारों ने सूचित किया कि उनके द्वारा रखे गये 837 व्यक्तिगत जमा लेखों (पी0डी0) का मिलान किया गया। शेष 34 कोषागारों (665 व्यक्तिगत जमा लेखों के रखरखाव) के मिलान की स्थिति ज्ञात नहीं है।

1.4 निधियों का श्रोत एवं उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) राज्यों को अपनी तरलता बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करता है। ओवर ड्राफ्ट (ओ0डी0) की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) से सहमत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹4.71 करोड़) के रखरखाव में कमी हो जाय। वर्ष 2012–13 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने ओवर ड्राफ्ट (ओ0डी0) की सुविधा का आश्रय नहीं लिया। इसे इस तथ्य के सापेक्ष देखना चाहिए कि लगभग सभी 92 अनुदानों में कुल ₹24506.13 करोड़ की बचत थी जिसके परिणाम स्वरूप अनुमान के सापेक्ष व्यय में 14प्रतिशत की कमी हुई।

1.4.2 निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹5180.34 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹19238.39 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)[1] का क्रमशः1प्रतिशत और 3प्रतिशत प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 12प्रतिशत था। इस घाटे की पूर्ति लोक ऋण (₹6910.91 करोड़), लोक लेखा में वृद्धि (₹12860.10 करोड़), आकस्मिकता निधि से अनापूरित योगदान (₹47.20 करोड़) और प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ अवशेष के निवल शेष के (₹ (–)579.22 करोड़) से की गई। राज्य सरकार की लगभग 64प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों (₹145903.98 करोड़) को प्रतिबद्ध व्ययों जैसे वेतन एवं मजदूरी (₹52754.72 करोड़), ब्याज का भुगतान (₹16920.59 करोड़), पेंशन (₹17920.61 करोड़) तथा सब्सिडी (₹5963.70 करोड़) पर व्यय किया गया।

[1]जहॉ विपरीत इंगित है के अलावा, जी0एस0डी0पी0 के आंकड़े जो इस संस्करण में प्रयोग किये गये हैं, आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से प्राप्त सूचनाओं से लिए गये हैं।

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	धनराशि
स्रोत	दिनांक 01.04.2012 को आरम्भिक रोकड़ शेष	(-) 619.34
	राजस्व प्राप्तियॉ	145903.98
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	418.80
	लोक ऋण	15819.95
	आकस्मिकता निधि	309.65
	अल्प बचत, भविष्य निधि एवं अन्य	10096.34
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियॉ	9638.28
	जमा प्राप्तियॉ	8484.09
	सिविल अग्रिमों का प्रतिदान	144.60
	उचन्त लेखा	494040.46
	प्रेषण	15954.43
	योग	700191.24

उपयोग	राजस्व व्यय	140723.64
	पूंजीगत व्यय	23834.29
	प्रदत्त ऋण	1003.24
	लोक ऋण का भुगतान	8909.04
	आकस्मिकता निधि	262.45
	अल्प बचत, भविष्य निधि तथा अन्य	6754.83
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियॉ	5252.14
	जमा संवितरण	6731.06
	सिविल अग्रिमों का संवितरण	144.60
	उचन्त लेखा	491646.96
	प्रेषण	14968.51
	दिनांक 31.03.2013 को अंतिम रोकड़ शेष	(-) 39.52
	योग	700191.24

1.4.3 *रूपया कहॉ से आया*

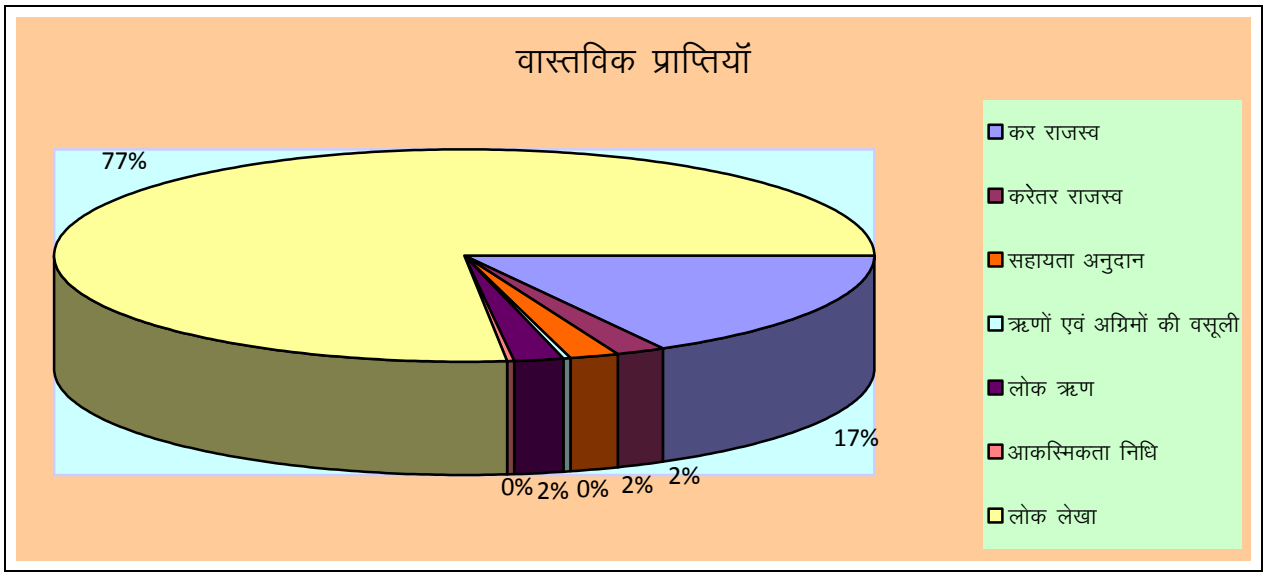

टिप्पणी– शून्य से तात्पर्य नगण्य धनराशि है।

1.4.4 रूपया कहॉ गया

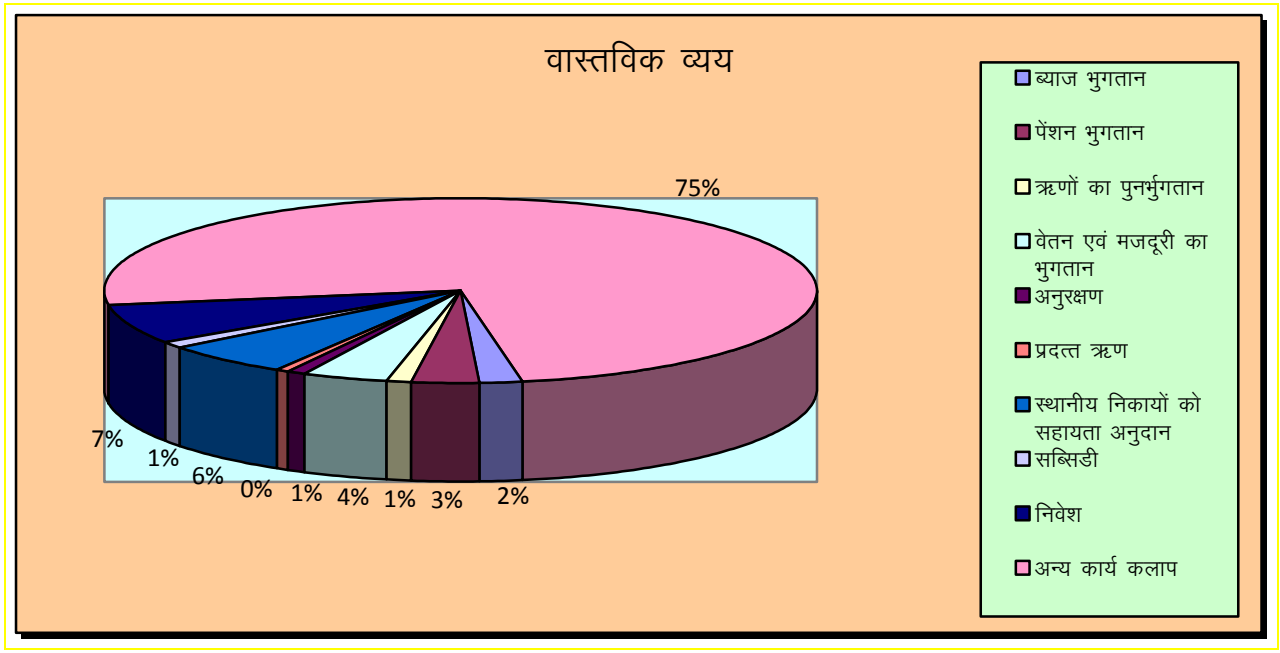

टिप्पणी– शून्य से तात्पर्य नगण्य धनराशि है।

1.5 लेखे के मुख्य अंश

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	मदें	बजट अनुमान 2012–13	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान से वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत
1.	कर राजस्व @	121585.40	115596.21	95.07	15.02
2.	करेतर राजस्व	14173.82	12969.98	91.51	1.69
3.	सहायता अनुदान एवं अंशदान	23088.74	17337.79	75.09	2.25
4.	राजस्व प्राप्तियॉ (1+2+3)	158847.96	145903.98	91.85	18.96
5.	कर्ज तथा उधार की वसूली	848.43	418.80	49.36	0.05
6.	उधार एवं अन्य दायित्व (अ)	21570.26	19238.39	89.19	2.50
7.	पूंजीगत प्राप्तियॉ (5+6)	22418.69	19657.19	87.68	2.55
8.	कुल प्राप्तियॉ (4+7)	181266.65	165561.17	91.34	21.51
9.	आयोजनेत्तर व्यय (*)	125156.51	116691.01	93.24	15.16
10.	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	123302.22	114845.72	93.14	14.92
11.	ब्याज के भुगतान पर आयोजनेत्तर व्यय (10 में से)	16617.56	16920.59	101.82	2.20
12.	आयोजनेत्तर पूँजीगत व्यय	1854.29	1845.30	99.52	0.24
13.	आयोजनागत व्यय (*)	56110.14	48870.16	87.10	6.35
14.	आयोजनागत राजस्व व्यय	29661.39	25877.91	87.24	3.36
15.	आयोजनागत पूँजीगत व्यय	26448.75	22992.24	86.93	2.99
16.	कुल व्यय (9+13)	181266.65	165561.17	91.34	21.51
17.	राजस्व व्यय (10+14)	152963.61	140723.63	92.00	18.28
18.	पूँजीगत व्यय (12+15) (#)	28303.04	24837.54	87.76	3.23
19.	राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-17)	5884.35	5180.35	88.04	0.67
20.	राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-) (4+5-16)	(-) 21570.26	(-) 19238.39	89.19	2.50

@ केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा ₹ 57497.85 करोड़ शामिल

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹769728.88 करोड़ (अग्रिम) (स्रोतः आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ)

(#) पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹23834.29 करोड़) तथा ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण (₹ 1003.24 करोड़) शामिल है।

(*) व्यय में ₹ 619.49 करोड़ (आयोजनेत्तर) तथा ₹383.75 करोड़ (आयोजनागत) जो कि ऋण तथा अग्रिमों से संबधित है शामिल है।

(अ) उधार एवं अन्य दायित्वः निवल लोक ऋण (प्राप्तियां – संवितरण) + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखे (प्राप्तियां – संवितरण) तथा आरम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष का निवल ।

1.6 घाटा तथा आधिक्य क्या इंगित करते हैं?

घाटा	राजस्व तथा व्यय के अंतर को इंगित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे को किस प्रकार वित्तपोषित किया गया तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन की बुद्धिमता के प्रमुख संकेतक हैं।
राजस्व घाटा/आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर को इंगित करता है। वर्तमान सरकारी स्थापना के रखरखाव हेतु राजस्व व्यय की आवश्यकता होती है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से उसकी पूर्ति होनी चाहिए।
वित्तीय घाटा/आधिक्य	समग्र प्राप्तियों (उधारी छोड़कर) तथा समग्र व्यय के अंतर को इंगित करता है। अतः यह अंतर व्यय को उधारी के द्वारा किस सीमा तक पोषित किया गया की ओर इंगित करता है। आदर्शतः उधारी को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य का प्रवाह

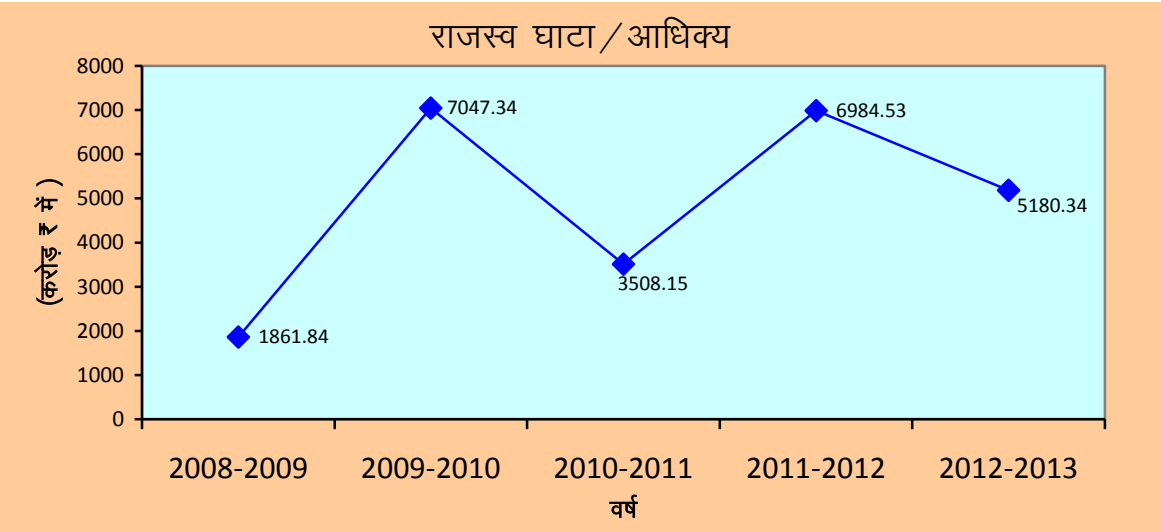

1.6.2 *वित्तीय घाटे का प्रवाह*

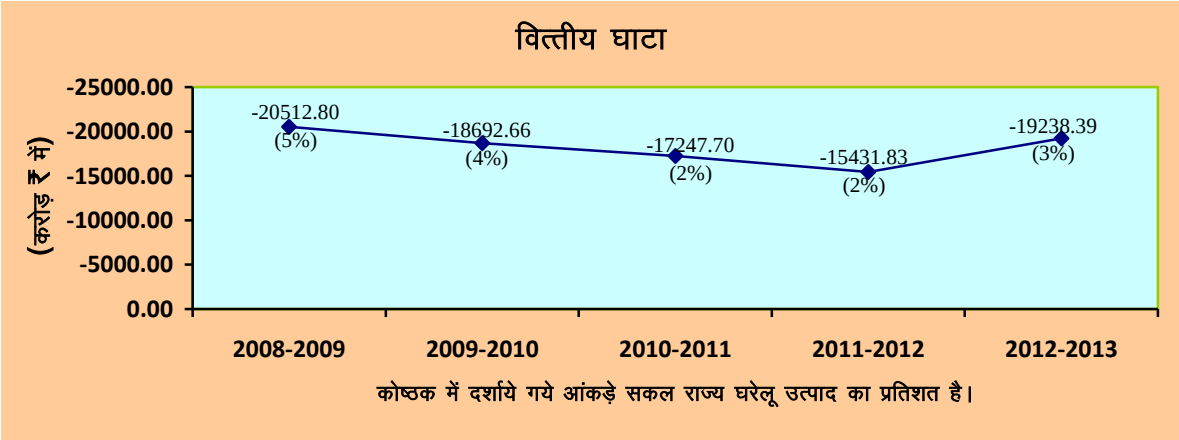

1.6.3 उधार ली गयी निधियों का पूंजीगत पर किये गये व्यय का अनुपात

सामान्यतः पूंजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से किया जाता है। यह अपेक्षित है कि उधार ली गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु किया जाय तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु किया जाय। राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष की उधारी (₹15819.95 करोड़) का 151प्रतिशत पूंजीगत (₹23834.29करोड़) व्यय पर किया।

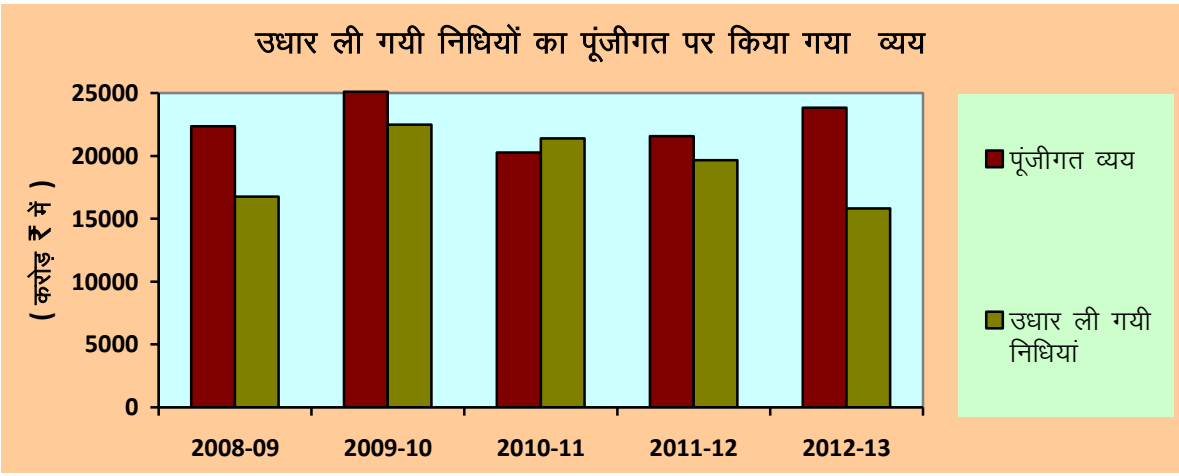

अध्याय II

प्राप्तियॉं

2.1 परिचय

सरकारी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2012–13 के लिये कुल प्राप्तियॉं ₹ 165561.17 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियॉं

कर राजस्व	में राज्य द्वारा संगृहीत तथा प्रतिधारित किये गये कर तथा संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अंर्तगत केन्द्रीय करों में राज्य का अंश शामिल होता है।
करेतर राजस्व	में ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल होते हैं।
सहायता अनुदान	अनिवार्यतः केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता का एक प्रकार। इसमें केन्द्र सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त 'वाह्य सहायता अनुदान' तथा सहायता, सामग्री तथा उपकरण' शामिल होते हैं। बदले में राज्य सरकार भी पंचायती राज संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है।

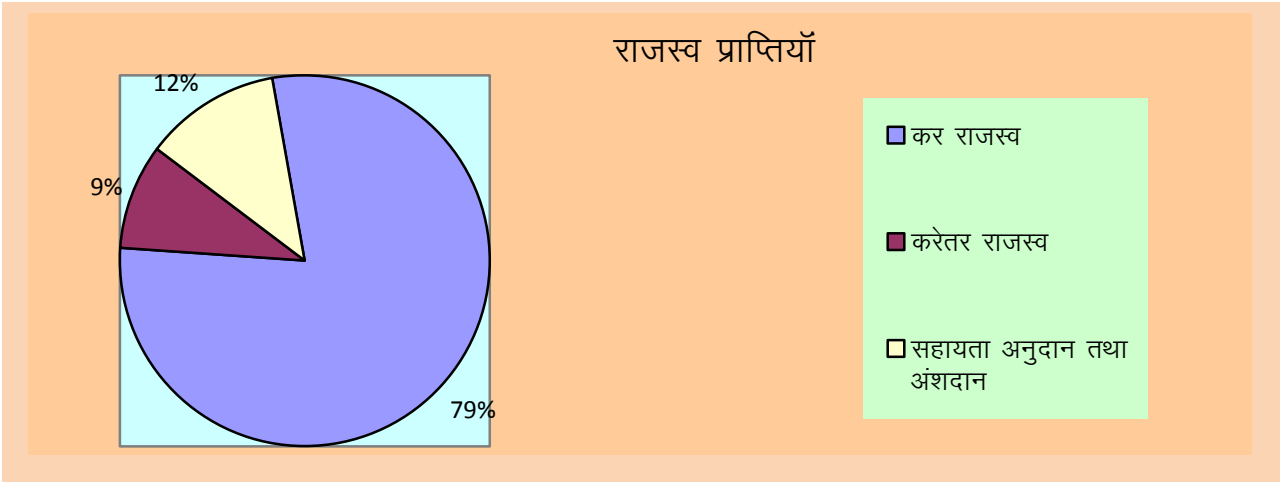

राजस्व प्राप्तियों के घटक (2012–13)

(करोड़ ₹ में)

घटक	वास्तविक प्राप्तियॉ
क– कर राजस्व	**115596.21**
आय एवं व्यय पर कर	33053.72
संपत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	9581.69
वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	72960.80
ख– करेतर राजस्व	**12969.98**
राजकोषीय सेवायें	0.04
ब्याज प्राप्तियॉ, लाभांश एवं लाभ	1249.11
सामान्य सेवायें	5068.77
सामाजिक सेवायें	4670.20
आर्थिक सेवायें	1981.86
ग– सहायता अनुदान एवं अंशदान	**17337.79**
कुल– राजस्व प्राप्तियॉ	**145903.98**

2.3 प्राप्तियों का प्रवाह

(करोड़ ₹ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कर राजस्व	59564.69 (13)	65674.27 (12)	84573.90 (14)	102964.38 (15)	115596.21 (15)
करेतर राजस्व	6766.56 (2)	13601.09 (3)	11176.21 (2)	10145.30 (1)	12969.98 (2)
सहायता अनुदान	11499.48 (3)	17145.59 (3)	15433.65 (3)	17760.02 (3)	17337.79 (2)
कुल राजस्व प्राप्तियॉ	77830.73 (18)	96420.95 (18)	111183.76 (19)	130869.70 (19)	145903.98 (19)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (*)	444684.86	523394.18(क)	600164.08(ख)	679006.91(ग)	769728.88(घ)

टिप्पणीः कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है।

(*) राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद परिभाषित किया गया है।

(क) वर्ष 2009–10 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये गये हैं।

(ख) वर्ष 2010–11 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये गये हैं तथा अनन्तिम हैं।

(ग) वर्ष 2011–12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा संशोधित किये गये हैं तथा त्वरित हैं।

(घ) वर्ष 2012–13 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े अग्रिम हैं।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011–12 तथा 2012–13 के बीच 13प्रतिशत की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रह में वृद्धि केवल 11प्रतिशत थी, केन्द्र सरकार से 'सहायता अनुदान' (₹422.11 करोड़) 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' (₹323.63 करोड़) तथा 'श्रम एवं रोजगार' (₹172.09 करोड़) में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद कर राजस्व में 12प्रतिशत तथा करेतर राजस्व में 28प्रतिशत की वृद्धि हुई।

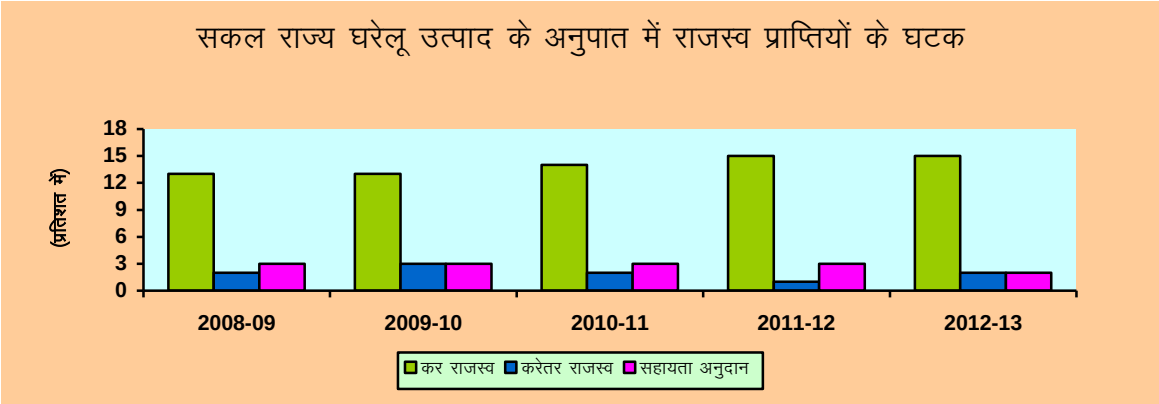

क्षेत्रवार कर राजस्व

(करोड़ ₹ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आय तथा व्यय पर कर	16518.92	20395.89	25845.27	29916.21	33053.72
सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4697.16	5254.98	7143.46	8261.60	9581.69
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	38348.61	40023.40	51585.17	64786.57	72960.80
कुल कर राजस्व	59564.69	65674.27	84573.90	102964.38	115596.21

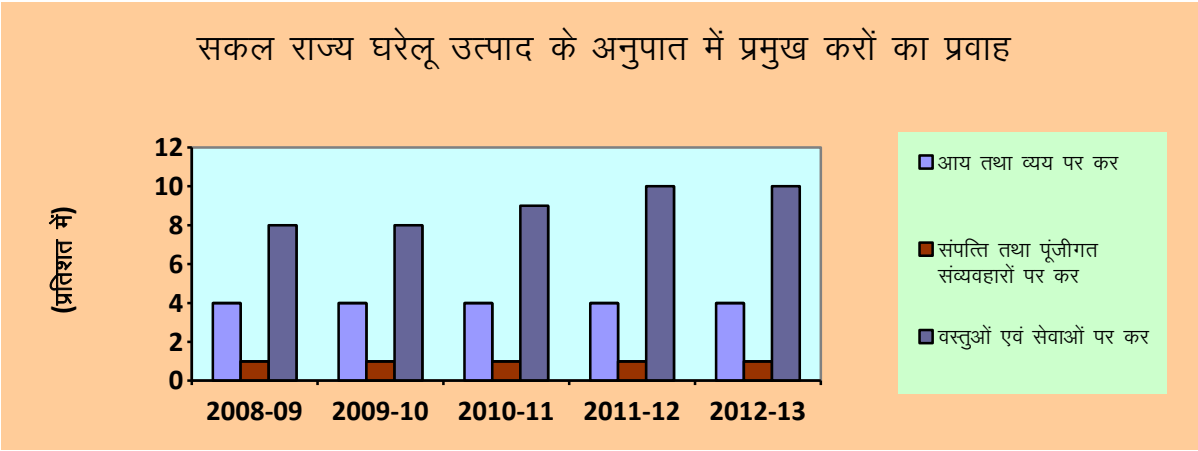

(*) मुख्यतः राज्य को केन्द्रीय करों के निवल आगम

2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का निष्पादन

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	कर राजस्व	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	राज्य के स्वयं के कर राजस्व	
			धनराशि	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-09	59564.69	30905.72	28658.97	6
2009-10	65674.27	31796.67	33877.60	6
2010-11	84573.90	43464.05	41109.85	7
2011-12	102964.38	50350.95	52613.43	8
2012-13	115596.21	57497.85	58098.36	8

2.5 कर संग्रह की दक्षता

(क) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रह	4697.16	5254.98	7143.46	8261.60	9581.69
संग्रह पर व्यय	947.91	1222.11	1568.90	1662.85	1927.28
कर संग्रह की दक्षता (प्रतिशत)	20	23	22	20	20

(ख) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर

(करोड़ ₹ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व संग्रह	38348.61	40023.40	51585.17	64786.57	72960.80
संग्रह पर व्यय	482.45	1155.49	1440.15	1135.07	1349.75
कर संग्रह की दक्षता (प्रतिशत)	1	3	3	2	2

वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक प्रमुख हिस्सा है। कर संग्रह की दक्षता उत्कृष्ट है। तथापि संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों की संग्रह दक्षता में सुधार की आवश्यकता है।

2.6 संघ करों में राज्यांश का पिछले पॉच वर्षों का प्रवाह

(करोड़ ₹ में)

मुख्य लेखाशीर्ष का विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
निगम कर	10134.47	13085.69	16892.90	19818.72	20653.72
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6363.88	7289.26	8926.93	10067.03	12365.05
आय तथा व्यय पर अन्य कर	(-)0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
धन कर	9.61	29.61	34.64	76.51	34.87
सीमा शुल्क	5907.92	4450.18	7557.41	8730.00	9554.78
संघ उत्पाद शुल्क	5152.47	3584.65	5497.76	5649.14	6493.46
सेवा कर	3338.69	3357.31	4309.45	6009.58	8395.97
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-)0.99	(-)0.03	244.96	(-)0.03	0.00
संघ करों में राज्य का अंश	30905.72	31796.67	43464.05	50350.95	57497.85
कुल कर राजस्व	59564.69	65674.27	84573.90	102964.38	115596.21
कुल कर राजस्व में केन्द्रीय करों का प्रतिशत	52	48	51	49	50

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से सहायता तथा वाह्य सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है और इसमें राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किये गये राज्य आयोजनेत्तर अनुदान तथा वाह्य एजेन्सियों से अनुदान शामिल होते हैं। वर्ष 2012–13 में सहायता अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियॉ ₹17337.79 करोड़ थी जो निम्न प्रकार है:–

(करोड़ ₹ में)

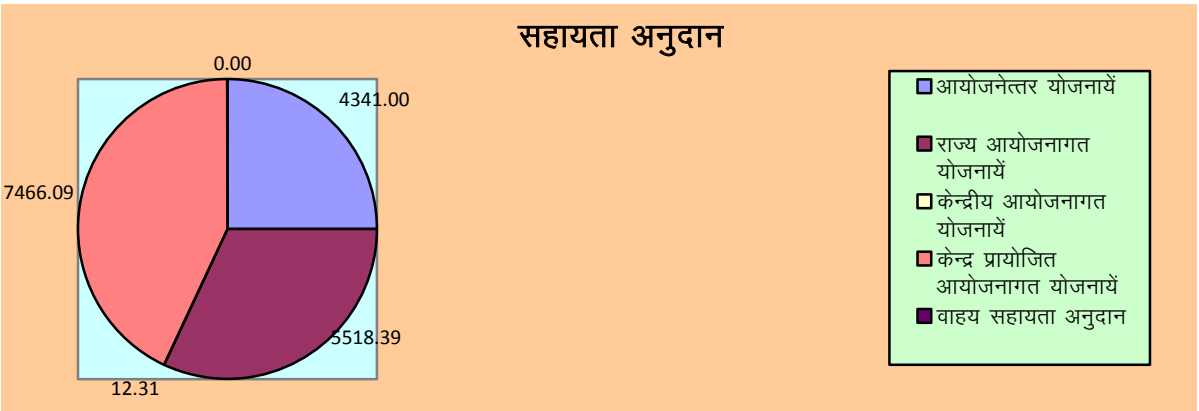

कुल सहायता अनुदान में आयोजनेत्तर अनुदान का हिस्सा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में 25प्रतिशत था जबकि आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान का हिस्सा वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में 75प्रतिशत था। राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं में केन्द्रीय हिस्सेदारी के बजट अनुमान ₹16982.70 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार को वास्तविक रूप में ₹12996.79 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ (बजट अनुमान का 77प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण

पिछले पॉच वर्षो में लोक ऋण का प्रवाह

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आंतरिक ऋण	10762.00	15737.68	14948.00	12363.65	8010.12
केन्द्रीय ऋण	(-)778.45	(-)917.20	(-)937.00	(-)998.96	(-)1099.21
कुल लोक ऋण	9983.55	14820.48	14011.00	11364.69	6910.91

टिप्पणी–ऋणात्मक आंकड़े प्राप्तियों से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करते हैं।

वर्ष 2012–13 के दौरान आठ ऋणों जिनका योग ₹ 9500.00 करोड़ था, 8.86प्रतिशत से 9.17प्रतिशत की विभिन्न ब्याज दरों पर तथा वर्ष 2022 में विमोच्य को सममूल्य पर उगाहा गया।

वर्ष 2012–13 में राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹15523.99 करोड़ तथा इस अवधि के दौरान प्राप्त केन्द्रीय ऋण घटक ₹295.96 करोड़ के सापेक्ष पूंजीगत व्यय ₹23834.29 करोड़ (151प्रतिशत) था।

अध्याय III

संवितरण

3.1 परिचय

संवितरणों को राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग संगठन को दिन–प्रतिदिन चलाने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पति बनाने के लिए किया जाता है या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता बढ़ाने के लिए अथवा स्थायी देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। व्यय को आगे आयोजनागत तथा आयोनेत्तर के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवायें	इसमें कानून तथा न्याय, पुलिस, जेल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेन्शन इत्यादि शामिल होते हैं।
सामाजिक सेवायें	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का कल्याण इत्यादि शामिल होते हैं।
आर्थिक सेवायें	इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल होते हैं।

3.2 राजस्व व्यय

आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 3783.48 करोड़ तथा आयोजेनेत्तर व्यय के अन्तर्गत ₹ 8456.49 करोड़ के कम संवितरण के कारण वर्ष 2012–13 में राजस्व व्यय ₹140723.64 करोड़ में बजट अनुमानों से ₹12239.97 करोड़ की गिरावट आयी। इस गिरावट को राजस्व प्राप्तियों में ₹12943.98 करोड़ (8प्रतिशत) की गिरावट तथा उत्तर प्रदेश एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2004 के संदर्भ में राज्य द्वारा राजस्व आधिक्य को बनाये रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

पिछले पॉच वर्षो के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष व्यय में कमी को नीचे दर्शाया गया है:–

(करोड़ ₹ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बजट अनुमान	74828.67	92866.65	111066.21	125793.66	152963.61
वास्तविक व्यय	75968.89	89373.61	107675.61	123885.17	140723.64
अन्तर	(-)1140.22	3493.04	3390.60	1908.49	12239.97
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	2	4	3	2	8

बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में गिरावट (8प्रतिशत) को संयोजित कर राज्य सरकार को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने की समस्या का सामना करना पड़ा। कुल राजस्व व्यय का लगभग 66प्रतिशत प्रतिबद्ध आयोजनेत्तर व्यय (वेतन, पेंशन इत्यादि) के लिए किया गया। इसे शामिल कर यह वास्तविकता थी कि भारत सरकार ने अनुमानित सहायता अनुदान का केवल 77प्रतिशत ही जारी किया। परिणामतः आयोजनागत व्यय वर्ष 2011–12 में ₹22615.92 करोड़ से 14प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹25877.91करोड़ हो गया।

3.2.1 राजस्व व्यय का सेक्टर वार वितरण (2012–13)

(करोड़ ₹ में)

घटक	धनराशि	प्रतिशत
क– राजकोषीय सेवायें	**3295.33**	**2**
(i) संपत्ति एवं पूँजी लेन–देन पर कर संग्रह	1927.28	1
(ii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर संग्रह	1349.75	1
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	18.30	0
ख– राज्य के अंग	**1595.73**	**1**
ग– ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	**25182.28**	**18**
घ– प्रशासनिक सेवायें	**11881.13**	**9**
ड़– पेंशन एवं प्रकीर्ण सामान्य सेवायें	**17952.25**	**13**
च– सामाजिक सेवायें	**53300.32**	**38**
छ– आर्थिक सेवायें	**21337.35**	**15**
ज– सहायता अनुदान एवं अंशदान	**6179.25**	**4**
कुल व्यय (राजस्व लेखे)	**140723.64**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय (2008–13) के मुख्य घटक

(करोड़ ₹में)

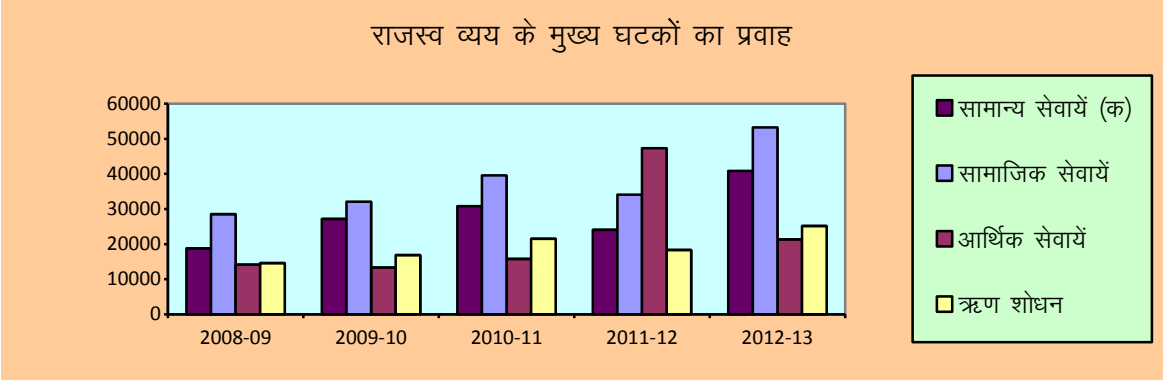

(क) सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 2048 (ऋण को घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन) एवं मुख्य लेखाशीर्ष 2049(ब्याज की अदायगी) सम्मिलित नहीं है तथा मुख्य लेखा शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) सम्मिलित है।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय (जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे–ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई) में अन्य सेवाओं में स्थिर वृद्धि के सापेक्ष न्यूनतम वृद्धि हुई।

3.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2012–13 में पूँजीगत संवितरण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3प्रतिशत पर बजट अनुमानों की तुलना मे ₹ 3465.51 करोड़ कम था। (आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत ₹ 3456.50 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय के अन्तर्गत ₹ 9.01 करोड़ का कम संवितरण हुआ)।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2012–13 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 1439.05 करोड़ (वृहत् सिंचाई पर ₹ 887.80 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 88.97 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 462.28

करोड़) का व्यय किया। उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार ने भवनों, सड़कों तथा पुलों के निर्माण पर ₹7041.17 करोड़ का व्यय तथा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹ 3622.31 करोड़ का निवेश किया।

(करोड़ ₹ में)

क्र0सं0	सेक्टर	धनराशि	प्रतिशत
1–	**सामान्य सेवायें** – पुलिस, भू–राजस्व इत्यादि	1404.95	6
2–	**सामाजिक सेवायें**– शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण इत्यादि	7594.51	30
3–	**आर्थिक सेवायें**– कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई,सहकारिता,ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि।	14834.83	60
4–	**ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण**	1003.24	4
	कुल	24837.53	100

3.3.2 पिछले पॉच वर्षो में पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(करोड ₹ में)

क्र0सं0	सेक्टर	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1–	सामान्य सेवायें	841.35	610.97	1002.05	1143.62	1404.95
2–	सामाजिक सेवायें	2945.44	4702.02	4795.47	5187.14	7594.51
3–	आर्थिक सेवायें	18558.93	19778.24	14475.28	15243.20	14834.83
4–	ऋण तथा अग्रिम	807.01	941.85	968.22	975.57	1003.24
	कुल	23152.73	26033.08	21241.02	22549.53	24837.53

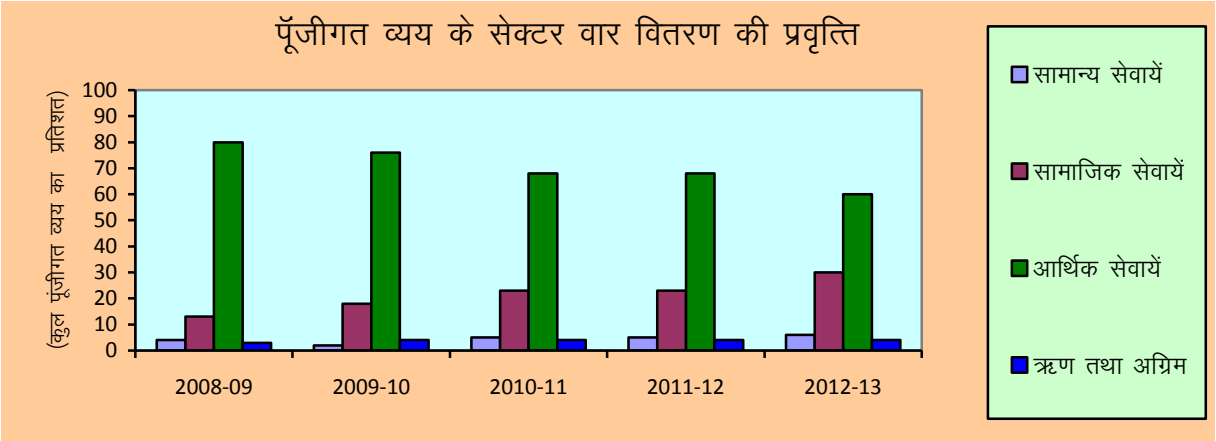

अध्याय IV

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2012–13)

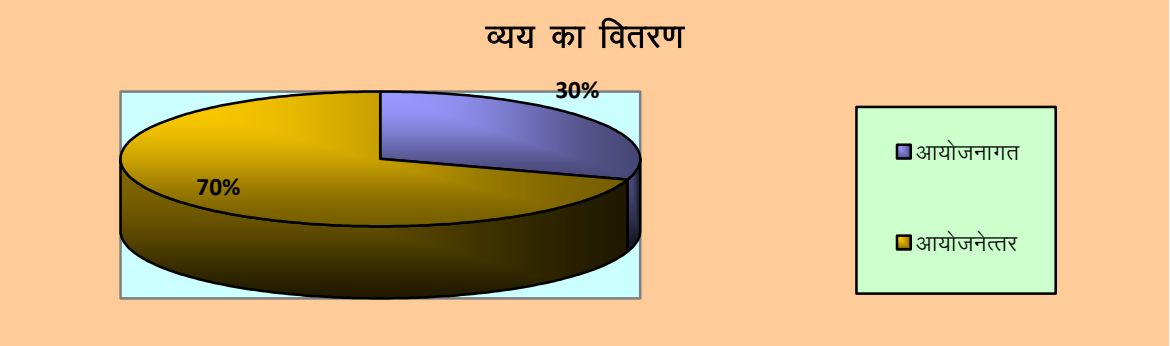

4.2 आयोजनागत व्यय

वर्ष 2012–13 के दौरान आयोजनागत व्यय कुल व्यय का 30प्रतिशत ₹48870.16 करोड़ था।(₹34618.61 करोड़ राज्य आयोजनागत के अन्तर्गत, ₹13867.80 करोड़ केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत तथा ₹383.75 करोड़ कर्जो तथा अग्रिमों के अन्तर्गत)।

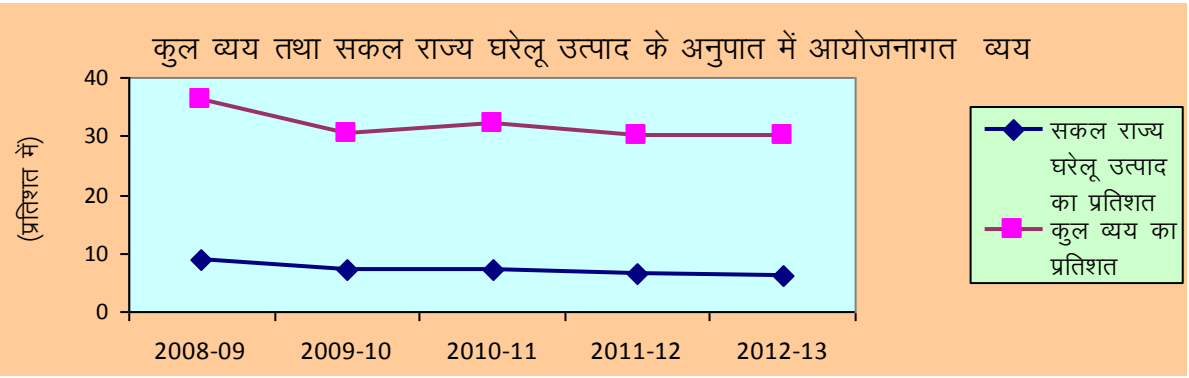

4.2.1 पूँजीगत खाता के अन्तर्गत आयोजनागत व्यय

(करोड़ ₹ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
कुल पूँजीगत व्यय	23152.73	26033.08	21241.02	22549.53	24837.53
पूँजीगत व्यय (आयोजनागत)	18477.81	19433.51	20198.36	21149.58	22992.25
कुल पूँजीगत व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय (आयोजनागत) का प्रतिशत	80	75	95	94	93

4.3 आयोजनेत्तर व्यय

वर्ष 2012–13 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय, कुल व्यय का 70 प्रतिशत ₹116691.01 करोड़ था। (₹114845.73 करोड़ राजस्व तथा ₹1845.28 करोड़ पूँजीगत के अन्तर्गत)।

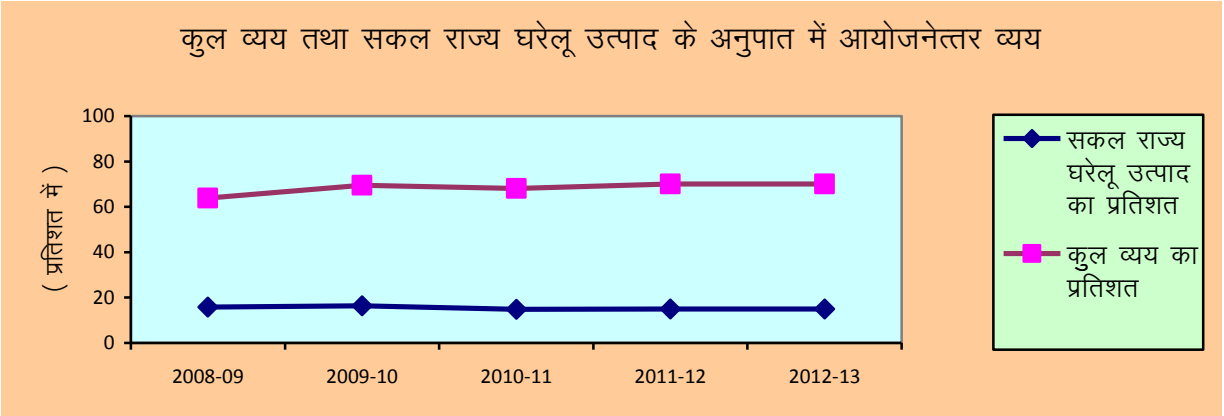

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

(करोड़ ₹ में)

घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
प्रतिबद्ध व्यय	45977.27	60685.06	71429.90	82729.90	93559.62
राजस्व व्यय	75968.89	89373.61	107675.61	123885.17	140723.64
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	59	63	64	63	64
राजस्व व्यय की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	61	68	66	67	66

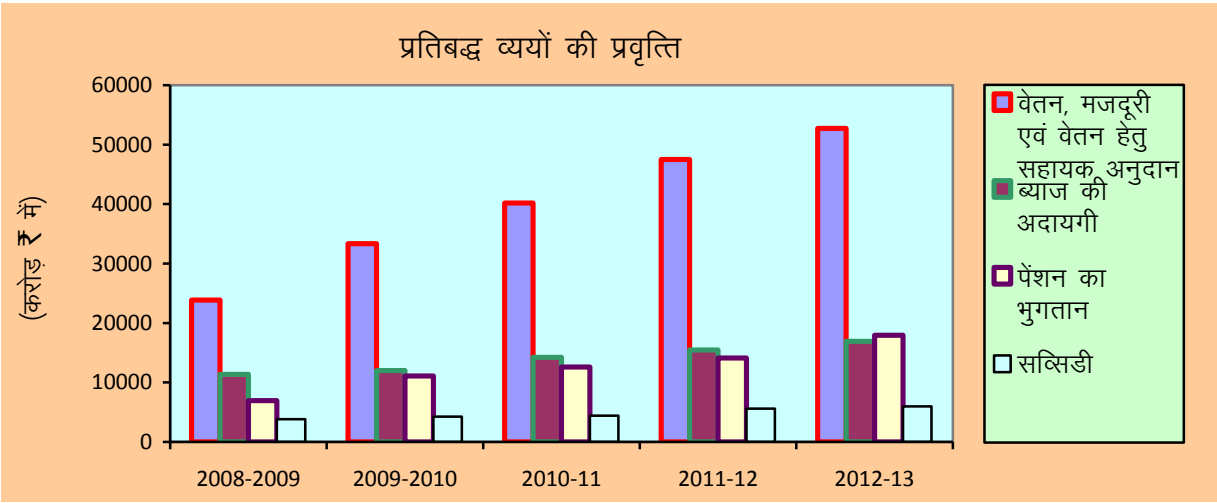

प्रतिबद्ध व्यय का उर्ध्वमुखी प्रवाह विकासात्मक व्यय हेतु सरकार के लचीलेपन को कम कर देता है।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 विनियोग लेखे 2012–13 का सारांश

(करोड़ ₹ में)

क्रम सं0	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) व्ययाधिक्य(+)
1	राजस्व मतदेय भारित	126586.19 27045.16	3546.99 11.80	-- --	130133.18 27056.96	116011.01 25409.54	(-)14122.17 (-) 1647.42
2	पूंजीगत मतदेय भारित	36932.44 166.10	2197.52 87.03	-- --	39129.96 253.13	35536.27 189.11	(-) 3593.69 (-) 64.02
3	लोक ऋण भारित	18843.96	--	--	18843.96	8909.04	(-) 9934.92
4	ऋण एवं अग्रिम मतदेय	1324.77	17.95	--	1342.72	1003.24	(-) 339.48
	योग	**210898.62**	**5861.29**	--	**216759.91**	**187058.21**	**(-)29701.70**

5.2 गत पांच वर्षों के अन्तर्गत बचत/व्ययाधिक्य का प्रवाह

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बचत (-)/ व्ययाधिक्य(+)				योग
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2008-09	(-)6998.64	(-)335.60	(-)10001.67	(-)101.79	(-)17437.70
2009-10	(-)7276.68	(-)3472.01	(-)10220.43	(-)542.30	(-)21511.42
2010-11	(-)5531.53	(-)7506.18	(-)10778.28	(-)106.14	(-)23932.13
2011-12	(-)8304.76	(-)5586.52	(-)10110.28	(-)504.57	(-)24506.13
2012-13	(-)15769.59	(-)3657.71	(-)9934.92	(-)339.48	(-)29701.70

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बचतें यह दर्शाती हैं कि या तो किन्हीं योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया गया या धीमी गति से कार्यान्वित किया गया।

निरन्तर और महत्वपूर्ण बचत वाली कुछ अनुदानों को नीचे दर्शाया गया है:–

(करोड़ ₹ में)

अनुदान संख्या	नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	(-)439.52	(-)351.92	(-)226.92	(-)235.76	(-)1230.82
21	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	(-)334.43	(-)1627.58	(-)5474.26	(-)1921.82	(-)1052.18
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	(-)492.49	(-)568.46	(-)243.11	(-)292.92	(-)634.67
37	नगर विकास विभाग	(-)312.17	(-)428.64	(-)1398.91	(-)887.28	(-)976.50
42	न्याय विभाग	(-)278.26	(-)306.52	(-)349.42	(-)330.09	(-)282.95
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	(-)197.79	(-)219.35	(-)181.91	(-)638.36	(-)375.83
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	(-)496.62	(-)442.15	(-)396.56	(-)238.57	(-)681.46
61	वित विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	(-)11426.90	(-)10063.54	(-)9518.37	(-)10460.76	(-)11867.38
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	(-)217.38	(-)262.06	(-)785.87	(-)710.76	(-)1276.79
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	(-)870.11	(-)1015.85	(-)213.95	(-)1207.91	(-)2350.94

2012–13 के दौरान, अनुपूरक अनुदान कुल ₹5861.30 करोड़ (कुल व्यय का 3.13 प्रतिशत) कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ, जहॉ वर्ष के अन्त में मूल आवंटनों के सापेक्ष महत्वपूर्ण बचत है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गये हैं:–

(करोड़ ₹ में)

अनुदान संख्या	नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व(दत्तमत) पूंजीगत(दत्तमत)	2688.55 716.02	1.50 1.00	2045.13 539.29
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व(दत्तमत)	1420.93	7.30	1324.44
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	पूंजीगत(दत्तमत)	622.41	3.38	302.51
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व(दत्तमत)	9663.33	28.07	8898.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व(दत्तमत)	1168.49	1.50	1083.90
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	राजस्व(दत्तमत)	3207.14	5.05	2808.40
37	नगर विकास विभाग	राजस्व(दत्तमत)	1126.51	24.00	912.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व(दत्तमत)	4307.44	69.00	4003.46
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व(दत्तमत)	23680.47	400.00	22214.66
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व(दत्तमत)	8228.70	302.62	7254.54
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व(दत्तमत) पूंजीगत(दत्तमत)	2287.48 214.19	0.40 1.75	1471.79 92.18
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व(दत्तमत) पूंजीगत(दत्तमत)	6626.97 3477.77	547.40 0.13	5412.27 2889.06
94	सिंचाई विभाग (कार्य)	पूंजीगत(दत्तमत)	3018.62	15.00	2227.86

अध्याय VI

परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियां

लेखे का वर्तमान प्रारूप सरकारी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन जैसे भूमि, भवन इत्यादि, सिवाय उस वर्ष के जब उसको अधिगृहीत/क्रय किया गया है, को नहीं प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से जब लेखे वर्तमान वर्ष में होने वाले दायित्वों का प्रभाव दर्शाते हैं, वे भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं सिवाय सीमित सीमा तक ब्याज दर तथा वर्तमान ऋणों की अवधि के।

वर्ष 2012–13 के अंत तक गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अंश पूंजी पर कुल निवेश ₹ 46227.91 करोड़ था। तथापि, वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त लाभांश ₹ 62.70 करोड़ (0.14 प्रतिशत) था। वर्ष 2012–13 के दौरान निवेश में वृद्धि ₹ 3620.84 करोड़ हुई जबकि लाभांश आय में वृद्धि ₹ 24.53 करोड़ की हुई।

31 मार्च 2012 को रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष ₹ (–)619.34 करोड़ था, जो मार्च 2013 के अंत में घटकर ₹ (-)39.52 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण एवं देयतायें

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने की शक्ति प्रदान करता है जैसा राज्य विधान मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया हो।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विवरण निम्नवत है:–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	लोक लेखा (*)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	कुल देयतायें	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2008-09	117703.32	26	69707.38	16	187410.70	42
2009-10	132523.80	25	69196.58	13	201720.38	39
2010-11	146534.80	24	78250.45	13	224785.25	37
2011-12	157899.49	23	85329.65	13	243229.14	36
2012-13	164810.40	21	94810.34	12	259620.74	34

* उचन्त एवं प्रेषण के अवशेष शामिल नहीं हैं।
टिप्पणी–आंकड़े वर्ष के अंत में प्रगामी अवशेष के हैं।

वर्ष 2011–12 की तुलना में लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹ 16391.60 करोड़ (7प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई।

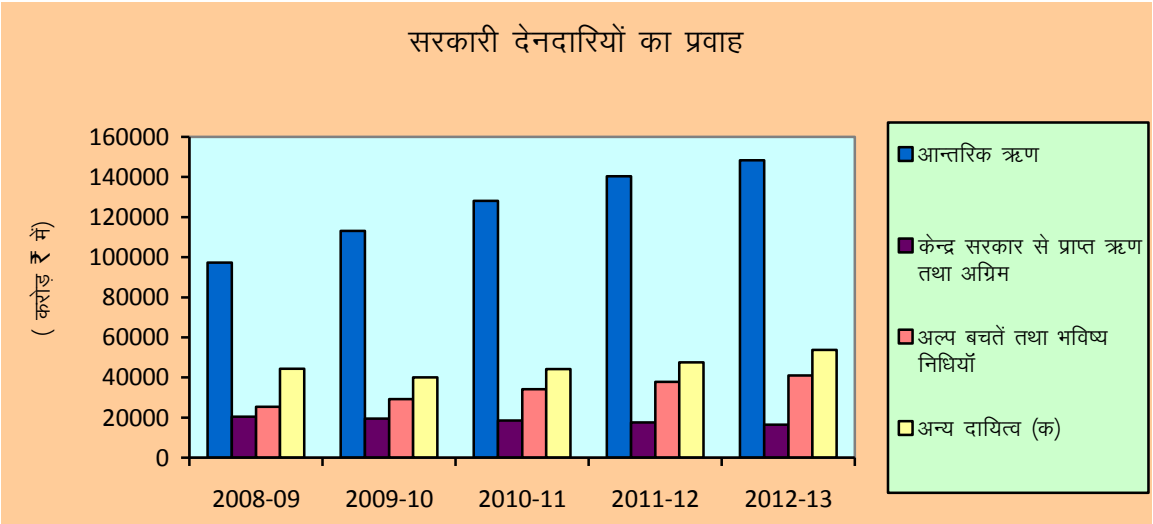

(क) बगैर ब्याज की देयतायें जैसे स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियॉ इत्यादि।

6.3 प्रत्याभूतियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी समितियों इत्यादि द्वारा लिये ऋण और पूँजी तथा उसपर ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नवत् है:–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूत अधिकतम राशि (मूलधन) केवल	वर्ष के अन्त में बकाया धनराशि	
		मूलधन	ब्याज
2008-09	27891.55	16084.00	0.00
2009-10	29311.36	19592.26	445.88
2010-11	29778.16	20162.03	0.00
2011-12	29628.83	21659.16	92.85
2012-13	50459.12	43336.66	0.00

अध्याय VII

अन्य मदें

7.1 महत्वपूर्ण लेन देनों के चेकों का व्यपगत होना

पूरे वर्ष के व्यपगत चेकों के लेखांकन के दौरान यह तथ्य जानकारी में आया कि भविष्य निधियों और बीमा निधियों के आहरण/भुगतान, राजस्व प्राप्तियों की वापसी तथा ऋणों एवं अग्रिमों आदि से संबंधित चेक काफी संख्या में व्यपगत हुए पाये गये थे। इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षो में व्यपगत चेकों की स्थिति निम्नवत् है–

(करोड़ ₹में)

वर्ष	व्यपगत चेकों का कुल मूल्य	8009–राज्य भविष्य निधियों के व्यपगत चेकों का मूल्य	8011 जी0आई0एस0के व्यपगत चेकों का मूल्य	राजस्व प्राप्तियों की वापसी के संबंध में व्यपगत चेकों का मूल्य	सरकारी सेवकों को ऋण तथा अग्रिम के संबंध में व्यपगत चेकों का मूल्य	अन्य
2010-11	83.07	3.39	1.55	5.02	0.00	73.11
2011-12	39.34	-	-	-	0.12	39.22
2012-13	78.97	5.10	1.27	10.64	0.00	61.96

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2012–13 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण एवं अग्रिम ₹11572.44 करोड़ थे। इसमें से सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की धनराशि ₹11376.42 करोड़ थी। 31 मार्च 2013 के अन्त तक मूलधन की राशि ₹597.42 करोड़ तथा ब्याज की राशि ₹303.57 करोड़ की वसूली बकाया थी।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पांच वर्षों के दौरान, स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान वर्ष 2008–09 में ₹15822.48 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹43211.66 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को कुल अनुदान का 9 प्रतिशत (₹3833.88 करोड़) दिया गया।

विगत पांच वर्षो में सहायता अनुदानों का विवरण निम्नवत् है:–

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	जिला परिषद	निकाय	पंचायत समितियॉ	अन्य	जोड़
2008-09	2177.38	2940.39	472.27	15823.95	21413.99
2009-10	1878.21	2461.07	491.54	20222.70	25053.52
2010-11	959.26	1389.57	..	28400.49	30749.32
2011-12	2922.91	2706.58	..	33584.82	39214.31
2012-13	326.98	2198.98	1307.92	39377.78	43211.66

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

(करोड़ ₹ में)

घटक	1 अप्रैल 2012 को	31 मार्च 2013 को	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी (–)
रोकड़ शेष	(-)619.34	(-)39.52	579.82
रोकड़ शेष का निवेश (भारत सरकार के ट्रेजरी बिल)	14052.72	15198.72	1146.00
उद्दिष्ट निधि शेष से निवेश			
(क) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	44.42	44.42	0.00
(ख) आपदा राहत निधि	0.78	0.78	0.00
(ग) अन्य निधियॉ	0.00	0.00	0.00
रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज की उगाही	311.96	760.27	448.31

वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 के अन्त में राज्य सरकार के नकद शेषों तथा उद्दिष्ट निधि शेषों को निवेशों में उपयोग करने के बावजूद अन्तिम रोकड़ शेष ऋणात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज की प्राप्तियों में 144 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.5 लेखों का मिलान

लेखे की परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता, अन्य बातों के अलावा, विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के मिलान पर निर्भर करती है। यह कार्य सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखों के स्तर पर किया जाना चाहिए। कई विभागों के लेखे का मिलान कार्य बकाया रहा। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार के कुल व्यय का 99 प्रतिशत तथा प्राप्तियों के लगभग 100 प्रतिशत का मिलान किया गया।

विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखों के मिलान की स्थिति निम्नवत् हैः–

विवरण	मुख्य नियंत्रण अधिकारियों की संख्या	पूर्ण रुप से मिलान किया गया	आंशिक रुप से मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
व्यय	153	143	–	10
प्राप्तियॉ	44	40	–	04
जोड़	197	183	–	14

मिलान में कुछ चिरकालिक चूक करने वालों की सूची निम्नवत् हैः–

क्रम संख्या	विभाग/मुख्य नियंत्रण अधिकारियों के नाम	बकाया वर्ष
1.	सचिव, तकनीकी शिक्षा, उ0 प्र0 लखनऊ	2012–13
2	सचिव, आवास एवं शहरी योजना विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ	2011–12तथा 2012–13
3.	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ	2012–13
4.	महानिदेशक, अभियोजन, उ0 प्र0, लखनऊ	2012–13
5.	प्रमुख सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ	2010–11 से 2012–13
6.	सचिव, नगरीय विकास, उ0 प्र0 लखनऊ	2009–10 से 2012–13
7.	महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उ0 प्र0 इलाहाबाद	2009–10 से 2012–13
8.	सचिव, राजस्व, उ0 प्र0 लखनऊ	2010–11 से 2012–13
9.	सचिव, वन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ	2011–12एवं 2012–13
10.	आयुक्त समाज कल्याण/प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ	2009–10 से 2012–13
11.	सचिव, ग्राम्य विकास/आयुक्त ग्राम्य विकास , उत्तर प्रदेश,लखनऊ	2012–13
12.	आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0 प्र0 लखनऊ	2012–13

7.6 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत लेखे

कोषागारों द्वारा प्रारम्भिक लेखों का प्रस्तुतीकरण संतोष जनक रहा। तथापि लोक निर्माण तथा वन खण्डों के लेखे के प्रस्तुतीकरण में सुधार अपेक्षित है।

7.7 सार आकस्मिकता (ए.सी.) बिल तथा विस्तृत आकस्मिकता (डी.सी.) बिल

जब धन की आवश्यकता अग्रिम रुप में हों या आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक वास्तविक धनराशियों की गणना करने में असमर्थ होने की स्थिति में उन्हें बिना समर्थित दस्तावेजों के सार आकस्मिकता बिलों के माध्यम से धनराशि आहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार के सभी सार आकस्मिकता बिलों का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर विस्तृत आकस्मिकता बिलों के माध्यम से किया जाना आवश्यक होता है। यह तथ्य कि 31 मार्च 2013 के अन्त में 7654 विस्तृत आकस्मिकता बिल जिनकी धनराशि ₹64.55 करोड़ थी, बकाया थे जिससे यह इंगित होता है कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

7.8 व्यय का अतिरेक

वित्तीय नियम अनुबद्ध करते हैं कि व्यय का अतिरेक, विशेषकर वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में, एक प्रकार से वित्तीय नियमितिता का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि कुछ विभाग इस आचरण में संलग्न रहे तथा कुल व्यय के 46 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक व्यय माह मार्च में किया जो निम्नवत हैः–

(करोड़ ₹ में)

लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च 2013 के दौरान	वर्ष 2012–13 में विभाग के कुल व्यय के सापेक्ष माह 3/13 का प्रतिशत
2040	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	105.56	92.50	109.88	831.38	1139.32	758.76	67
2048	ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन	0.00	0.00	0.00	8261.69	8261.69	8261.69	100
2245	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	68.65	39.83	92.60	906.09	1107.17	837.80	76
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	40.38	15.19	27.86	265.30	348.73	241.60	69
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1.27	27.85	143.28	534.68	707.08	393.84	56
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	40.17	86.46	97.77	1088.10	1312.50	1026.22	78
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	111.49	116.09	378.17	608.75	336.36	55
4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.36	29.05	97.42	126.83	69.65	55
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	57.76	165.15	623.11	846.02	418.94	50
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.37	4.40	18.69	96.55	123.01	73.72	60
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	19.06	28.02	89.03	549.16	685.27	393.84	57
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	447.99	685.17	1662.67	5692.75	8488.58	3874.44	46

7.9 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों पर प्रतिबद्धता

वर्ष 2012–13 तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर अनुमानित लागत ₹5286.99 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹3393.50 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2012–13 में अभियांत्रिकी विभागों द्वारा हस्तगत की गई विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा ₹900.22 करोड़ का कुल व्यय किया गया। दिनांक 31.03.2013 तक ₹1115.88 करोड़ भुगतान हेतु देय था। 'अपूर्ण पूंजीगत कार्यों पर प्रतिबद्धता' पर एक संक्षिप्त अवलोकन नीचे दिया गया है:–

(करोड़ ₹ में)

क्रम संख्या	कार्य की श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त में प्रगामी व्यय	लम्बित भुगतान	पुनरीक्षण के उपरांत अनुमानित लागत
1.	सड़क कार्य/पुल	4443.48	782.90	1823.95	1111.58	490.83
2.	सिंचाई परियोजनाएं	843.51	117.32	1569.55	4.30	1567.40
	योग	5286.99	900.22	3393.50	1115.88	2058.23

नोट: i) अपूर्ण पूंजीगत कार्यों पर प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना वित्त लेखे 2012–13 के परिशिष्ट X में उपलब्ध है।

ii) उपर्युक्त तालिका में आंकड़े विभिन्न खण्डों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों से संग्रहीत कर दर्शाये गये हैं।